

MORMUGAO PORT AUTHORITY
MARINE DEPARTMENT

Ref.No. DC/S(21)/2024/10

22nd July 2024
23rd

MOST URGENT

HARBOUR NOTICE NO. 10/2024

Sub: Submission of documents related to Ship Board Oil
Pollution including SOPEP

Your kind attention is drawn towards the mandate given by Goa State Pollution Control Board:

“make available the details of Ships docking on Port with their respective Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEPs) as the entry of the vessels is to be permitted subject to availability of required documents including SOPEP”.

Hence you are hereby instructed that any vessel calling Mormugao Port Authority (MPA) needs to submit the above documents at GSPCB on email id: mail.gspcb@gov.in alongwith a copy to the Port at pfsa@mptgoa.gov.in

Kindly note that non compliance to this may affect the vessel entry into the port adversely.

This harbour Notice will come into force with immediate effect.

Kindly treat this as **MOST URGENT**.


(Capt. Manoj Joshi)
Deputy Conservator

To,

Shipping Agents

Mormugao Stevedores Association

c.c: to: Chairperson's table
c.c: to: Dy. Chairperson's table
c.c. to: Member Secretary, GSPCB } for information

c.c. to: Shri Chanda Naik, AEN(E)
c.c. to: MPT Signal Station
c.c. to: TM/CME/ CE/CISF, All Pilots, SE(M), SO(M), MS, CO(PR) } to monitor for compliance

c.c. to: Hindi Officer – for Hindi Translation

c.c. to: Accounts Dept./EDP Section – with a request to upload on Port's website.

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
समुद्री विभाग

संदर्भ सं. डीसी/एस(21)/2024/10

दि. 22 जुलाई, 2024
23rd

अत्यावश्यक

हारबर सूचना सं. 10/2024

विषय : एसओपीईपी सहित शिप बोर्ड ऑयल पल्यूशन संबंधी दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

आपका ध्यान गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए निम्नलिखित आदेश की ओर आकर्षित किया जाता है :


“पत्तन में घाट लगाए जाने वाले जहाजों का विवरण उनके संबंधित शिप बोर्ड ऑयल पल्यूशन इमर्जन्सी प्लान (एसओपीईपी) सहित उपलब्ध कराएं क्योंकि जहाजों के प्रवेश की अनुमति एसओपीईपी सहित आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता के अधीन दी जाएगी।”

अतः एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) में आने वाले किसी भी जहाज को उपरोक्त दस्तावेजों को जीएसपीसीबी की ईमेल आईडी: mail.gspcb@gov.in पर जमा करना होगा व साथ ही एक प्रति इमेल pfs@mpmptgoa.gov.in पर पत्तन को प्रेषित करनी होगी।

कृपया ध्यान दें कि इसका अनुपालन न करने पर पत्तन में जहाज के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

यह हारबर सूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।


23/07/2024

(कप्तान मनोज जोशी)
उप संरक्षक

सेवा में,

शिपिंग एजेंट्स

मुरगांव स्टीवडोर्स एसोसिएशन

प्रतिलिपि: अध्यक्ष के पटल हेतु

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष के पटल हेतु

प्रतिलिपि: सदस्य सचिव, जीएसपीसीबी

सूचनार्थ

प्रतिलिपि: श्री चंदा नाइक, आईएन(ई)

प्रतिलिपि: एमपीए सिग्नल स्टेशन

प्रतिलिपि: टीएम/सीएमई/सीई/सीआईएसएफ, सभी पायलट, एसई(एम), एसओ(एम), एमएस, सीओ(पीआर)

प्रतिलिपि: लेखा विभाग/ईडीपी अनुभाग - पत्तन की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

अनुपालन हेतु मॉनिटर करने के लिए